

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य / के.भं. / क्रय / 73/2020-21/८३४५५-५३

दिनांक: ०८-०८-२०२१

खुली बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु मसाला पीसने की चक्की 03 नग, आटा गूथने की मशीन 07 नग, रेफिजरेटर 09 नग एवं एल.ई.डी. टॉर्च 100 नग क्रय करने हेतु खुली बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त सामग्री हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त सामग्री की दरें दिनांक ०९/०३/२०२१ तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक ०९/०३/२०२१ को दोपहर 5.00 बजे खोला जायेगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि की जगह राशि रूपये 50 के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प घोषणा-पत्र जमा कराना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है, जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निम्नांकित बैंकसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है एवं सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की बैंकसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

**UBN No.**

३।लाली.

(आलोक कुमार वशिष्ठ)

महानिरीक्षक कारागार

राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेज कार्यालय/मंडल कार्यालय।
4. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6)के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 07 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
5. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का विभागीय बैंकसाइट एवं एसपीपीपी पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. उप-निदेशक, उधोग शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

३।लाली.  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/ 73/2020-21/83444-53

दिनांक: 20-02-2021

खुली बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु मसाला पीसने की चक्की 03 नग, आटा गूथने की मशीन 07 नग, रेफिजरेटर 09 नग एवं एल.ई.डी. टॉर्च 100 नग क्रय करने हेतु खुली बोली आमंत्रण सूचना जारी की जानी है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त सामग्री हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त सामग्री की दरें दिनांक 09/03/2021 तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक 09/03/2021 को दोपहर 5.00 बजे खोला जायेगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि की जगह राशि रूपये 50 के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प घोषणा-पत्र जमा कराना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है, जो नियमानुसार नकद जमा कराना होगा। बोली वैवरणिक अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है एवं सूचना एवं जन बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है एवं सूचना एवं जन निम्नांकित बैवसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। निम्नांकित बैवसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है एवं सूचना एवं जन विभाग की बैवसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" विभाग की बैवसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	मसाला पीसने की चक्की	03 नग	0.45	250/-	15 दिवस
2.	आटा गूथने की मशीन	07 नग	5.60	500/-	
3.	रेफिजरेटर	09 नग	1.80	500/-	
4.	एल.ई.डी. टॉर्च	100 नग	3.00	500/-	
कुल राशि रूपये			10.85		

**Note:-** अलग-2 सामग्री की बोली में भाग लेने के लिए अलग-2 आवेदन किया जावेगा, फर्म द्वारा एक ही आवेदन में दरें भरने पर निविदा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

: बोली की मुख्य शर्तें :-

- खुली प्रतियोगी बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी एवं बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
- खुली बोली हेतु बोली प्रपत्र दिनांक /03/2021 दोपहर 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपरिथित होकर निर्धारित राशि का शुल्क जमा कराये जाकर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विभागीय बैवसाइट [www.home.rajasthan.gov.in](http://www.home.rajasthan.gov.in) अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपायन पोर्टल [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि के साथ इस कार्यालय में दिनांक /03/2021 को दोपहर 5.00 बजे तक वांछित समस्त दस्तावेजों के साथ जमा कराना होगा।
- बोली दाता अपनी बोली दर बोली प्रपत्र में सामने ही अंकित करेंगे। पृथक प्रपत्र में तथा उपरोक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। अगर बोली दरें उपरोक्त स्पेशिफिकेशन से पृथक दर दी गई तो बोलियां अस्वीकृत की जा सकेंगी। खुली बोली हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियां बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

#### **4. निर्माता द्वारा बोलीयाँ :-**

- (i) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आईटम के लिए बोली, सम्बन्धित आईटम के निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेन्ट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट—‘द’ में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन किये जायेंगे।
- (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्घोग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।

#### **5 राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**

- (i) किसी भी आईटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्घोग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
- (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन—ग/उद्घोग आधार दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन—ग/उद्घोग आधार द्वारा अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 0.50 प्रतिशत देय होगी।
- (iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप ‘ख’ में शपथ—पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ—पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।
- (v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप “क” मय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।

7. यदि कोई भी आईटम/वस्तु निम्न गुणवत्ता की होगी तो वह आईटम/वस्तु उपापन समिति अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी।

8. बोली में भाग लेने वाले निर्माता/डीलर को किसी भी सरकारी विभाग में जिस आईटम की बोली प्रस्तुत की गई हैं उस प्रकार के आईटम का अनुभव प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति, जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य सम्पादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर प्रस्तुत आईटम की अनुमानित राशि के दो गुणा होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणस्वरूप सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में विचार नहीं किया जावेगा।

10. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स (प्रीफरेन्स दू. एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों नियमानुसार प्रदान की जावेगी।

11. बोली के साथ बोलीदाता जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट—स की शर्त रांख्या 4(i) (ii) देखें) की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।

12. समस्त प्रमाण—पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण—पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

13. दरों की वैधता —प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

14. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समप्रकृत कर लिया गया है तो बोली लगाने

- वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
  16. उक्त सामग्री की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी जिसकी समयावधि का प्रारम्भ विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को रखीकार किये जाने की तिथि से होगा।
  17. सामग्री उपकरणों की आपूर्ति बोली में निर्धारित अवधि में केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर में करनी होगी। आपूर्ति किये गये उपकरण / मशीन का विभागीय निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये उपकरण / मशीन के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिलों का बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया जायेगा।
  18. सामग्री आपूर्ति किये जाने के उपरान्त मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर पर स्थापित किये जाने हैं। इस कार्यालय / विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता / फर्म को अपना इंजीनियर / तकनीकी कर्मचारी / प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त सिलाई मशीन को इन्स्टॉलेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय / विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
  19. सफल बोलीदाता / फर्म द्वारा मशीनों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
  20. सफल बोलीदाता / फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई मशीनों में किसी भी प्रकार की तकनीकी / अन्य खराबी होने अथवा मशीन के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा दूरभाष / लिखित में शिकायत दर्ज कराने पर सात दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुरुस्त करना होगा।
  21. गारंटी / वारंटी अवधि में मशीन / उपकरण में खराबी (टूट-फूट के अतिरिक्त) होने पर पार्ट्स / पुर्जे अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
  22. आवश्यकता होने पर क्रय समिति द्वारा चाहे जाने पर सामग्री को इस कार्यालय में लाकर डेमो करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्च संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
  23. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्य समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
  24. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
  25. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथा आवश्यकता / स्थानानुसार लागू रहेंगे।
  26. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज. जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
  27. फर्म को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के पृथक-पृथक बन्द लिफाफे प्रस्तुत करने होंगे, ताकि तकनीकी निविदा सफल पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
  28. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-
    1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर  
दूरभाष नं. 0141-2601047 ई-मेल purchasejhq@gmail.com
    2. अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।  
दूरभाष नं. 0141-2619202 ई-मेल purchasejhq@gmail.com

३४८

महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"  
**विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)**

1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता	
3.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
4.	वैट/जीएसटी बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
5.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण झापट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
6.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण झापट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर "तकनीकी निविदा"  
हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
 नाम फर्म  
 पता :-

**कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर**  
**(बोली प्रपत्र—क्वालीफाईंग बिड)**  
**परिशिष्ट “अ”**  
**घोषणा**

- (I) \_\_\_\_\_ क्रय करने हेतु के लिए निविदा।
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :—  
का नाम व डाक का पूर्ण पता :—  
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :—  
.....
- (III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :— महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
- (IV) सन्दर्भ:—बोली आमंत्रण संख्या:—सामान्य/के.भं./क्रय/73/2020-21/ दिनांक:
- (V) बोली प्रपत्र शुल्कः— राशि रूपये ..... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....  
दिनांक .....द्वारा जमा करा दी गई है।
- (VI) बोली प्रोसेसिंग फीस :—राशि रूपये..... डीडी नं.....दिनांक.....  
.....जमा करा दी है।
- (VII) हम बोली आमंत्रण संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट “स” तथा परिशिष्ट “ई” में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- (VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि “प्राईस बिड” में अंकित की गई दरें “प्राईस बिड” खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि “प्राईस बिड” में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट “ई” में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।
- (XI) हमारा जी.एस.टी. में पंजीयन संख्या ..... है।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है।
- (XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।
2. **बोली भरने की प्रक्रिया :-**
- (ए) परिशिष्ट “अ” क्वालीफाईंग बिड है। क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट “अ” “स” “द” एवं “इ” तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट ‘द’ व ‘ई’ एवं अनुलग्नक ‘ब’ करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ जमा करना आवश्यक होगा।
- (बी) परिशिष्ट “ब” प्राईस बिड है उसे बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीक—वाणिज्यिक बोली में योग्य (क्वालीफाईंड) बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

# महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

## परिशिष्ट "ब"

### (बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

1. \_\_\_\_\_ क्रय करने हेतु के लिए बोली।
  
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-.....  
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-.....  
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-.....
  
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
  
4. सन्दर्भ:- सामान्य / के.भं. / क्रय / 85 / 2019-20 / दिनांक: / / 2020
  
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-  
(क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम (ख) मात्रा :-.....  
(ग) दरें -एफ.ओ.आर. केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर, निम्नानुसार अंकित करें:-  
(i) दरें -(प्रति नग):-

क्र. सं.	वस्तु/आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति नग
1.	मसाला पीसने की चक्की	03 नग	प्रति नग	
2.	आटा गूंथने की मशीन	07 नग	प्रति नग	
3.	रेफिजरेटर	09 नग	प्रति नग	
4.	एल.ई.डी. टॉर्च	100 नग	प्रति नग	

परिवहन एवं पैकिंग चार्ज, इन्स्टॉलेशन दरों में शामिल किया जावेगा। उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोट:(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:- टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

(iii) जिस वस्तु/आईटम के लिए आवेदन किया है, उसी की दरें संबंधित कॉलम में भरें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

# महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

## परिशिष्ट—“स”

### खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

**नोट:-** बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया:-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**
  - (i) बोली आमंत्रण विस्तृत सूचना में अंकित समस्त आइटम्स्, वित्त विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।
  - (ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
  - (iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन—ग/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 0.50 प्रतिशत देय होगी।
  - (iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
  - (v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप “ख” में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी।
4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :-**
  - (i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण—पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
  - (ii) राजस्थान स्थित फर्म द्वारा गत छ: माह से अधिक वेट/जीएसटी बकाया नहीं होने का शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट—अ, ब, स, द तथा इ एवं अनुलग्नक—अ, ब, स, द का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली

परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक—अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट अ, ब, स, 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक अ, ब, स, द करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ स्केन कर जमा करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

6. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में सम्पन्न कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

### दरे :-

- (i) बोली में दरे शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्याकांन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :—
- (क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुण करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकांन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
  - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
  - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दरें परिशिष्ट "ई" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दंगी परिशिष्ट "ई" में अंकित स्थान पर दी जाएगी।
- (v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

- (x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

#### **बातचीत (Negotiation) :-**

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकांन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

#### **बोली की विधि मान्यता:-**

- दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive Bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

10. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।

#### **स्पेसिफिकेशन:-**

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलों में जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी।

#### **निरीक्षण एवं परीक्षण :-**

- (i) (A) “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात् जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/आईटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
- (B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की

- (ii) उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (iii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशॉप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।
- (iv) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।
- (v) परीक्षण प्रभार:- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
- (vi) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
- (vii) रद्द करना (Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा।
- (viii) आपूर्ति किया गया सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
14. **माल की सप्लाई :-**
- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दग्दी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट जयपुर पर भेजा जाएगा।
15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

## 16. सुपुर्दग्दी अवधि (Delivery Period)

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो

उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

**17. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) बद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिक्रिया का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मर्दों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

**18. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :-** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

**19. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :-**

- (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के द्वारा बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र जमा कराना होगा। (आदेश एवं घोषणा पत्र का प्रारूप सलंगन है।)

**20. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security ) :-**

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 3 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं नियमानुसार राशि रूपये 5,00 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:-
- (क) "इ.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा"
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्किप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

- (ज.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय / समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के सम्पहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ सम्पहत कर ली जायेगी।
- (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

**नोट:-** अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
- (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
- (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।
- (iv) **कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का सम्पहरण** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में सम्पहरण (Forfeiture) किया जाएगा:—
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के सम्पहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँगे:—
- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्राणित प्रति।
- (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
- (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र।
- (vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

#### 21. **बीमा:—**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

#### 22. **मुगतान:—**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता की स्थिति में भुगतान किया जाएगा ।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे ।
- (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे ।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।
- (vi) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-  
परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-  
 (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%  
 (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%  
 किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए  
 (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%  
 विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए  
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%  
 (ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।  
 (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।  
 (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किसीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है । किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।  
 (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी ।

23. वसूलियाँ:- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

24. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी ।

25. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जावेगी । यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो ।

26. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा ।

27. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार(सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

28. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
29. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
30. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
31. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
32. सिलाई मशीन की आपूर्ति मुख्यालय कारागार राजस्थान, घाटगेट जयपुर पर देनी होगी।

अ.ल.ज.

महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,  
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

**बोलीदाताओं द्वारा घोषणा**  
**(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड  
 विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)**

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सदभावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' एवं 'ई' तथा अनुलग्नक "अ", "ब", "स" "द" तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूँगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में घोषित नहीं हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर**  
**(बोली की समस्त शर्तें स्वीकारा करने के प्रमाण स्वरूप)**

नाम .....

नाम फर्म .....

.....

.....

### **Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
  - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

**Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**  
**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

### **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

#### **(1) Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

#### **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

**Form No.1  
(See rule 83)**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant :**

- (i) Name of the appellant :
- (ii) Official address, if any :
- (iii) Residential address :

**2. Name and address of the respondent (s):**

- (i)
- (ii)
- (iii)

**3. Number and date of the order appealed against  
and name and designation of the officer/ authority  
who passed the order (enclose copy), or a statement  
of a decision, action or omission of the Procuring Entity  
in contravention to the provisions of the Act by which  
the appellant is aggrieved :**

**4. If the Appellant proposes to be represented  
by a representative, the name and postal address  
of the representative :**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :**

**6. Grounds of appeal : .....**

.....  
.....  
..... (Supported by an affidavit)

**7. Prayer : .....**

.....  
.....  
.....  
.....

Place .....

Date .....

**Appellant's Signature**

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.  
If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

प्रारूप ख  
शपथ पत्र का रूप विधान  
(खण्ड 11 देखिए)

मैं ..... पुत्र ..... आयु ..... वर्ष ..... का  
निवासी, मैसर्स ..... का  
स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ  
कि:-  
(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स .....  
..... को जिला उधोग केन्द्र ..... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन  
भाग—ग की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं..... दिनांक .....  
निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:-

वस्तु का नाम

उत्पादन क्षमता (वार्षिक)

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

- (ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग—ग की अभिस्वीकृति उधोग  
विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का  
नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।
- (ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित  
वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:-

हस्ताक्षर  
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत  
हस्ताक्षरी  
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

**महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर**  
**मशीनों के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-**

- (क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।  
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि : 30 दिवस

**(ग) स्पेशिफिकेशन एवं प्रति नग मात्रा:**

1. मसाला चक्की के क्य हेतु स्पेशिफिकेशन्सः नवीन जिला कारागृह दौसा, जयपुर तथा बीकानेर हेतु पाट वाली मसाला चक्की के स्पेशिफिकेशन्स :-

S.NO.	SPECIFICATION(s)	MASALA CHAKKI-14" Horizontal
1.	Dia of Emery Stone	350mm
2.	Cutting Capacity	25-30kg/Hrs
3.	Dimension of Iron Frame  i. Height ii. Width iii. Weight iv. Plate of Frame v. Leg of frame	550mm 432mm 42kg 4mm Thick 70x70x4mm
4.	Electric Motor	3HP/1400 RPM Heavy Duty Single Phase
5.	Width of Emery Stone	5½" Red Emery
6.	Warranty	01 year
Tolerance +/- 5% in all dimension shall be allowed		

2. आटा गूंथने की मशीन क्य हेतु स्पेशिफिकेशन्सः 7 महिला बंदी सुधार गृहों हेतु आटा गूंथने की मशीन स्पेशिफिकेशन्स :-

S.NO.	SPECIFICATION(s)	AATA Gunthena Ki Machine
1.	Capacity	25 Kg. in 25 Minutes
2.	Size	48"X42"X28"
3	Weight	110Kg.
4.	Electric Motor	1.5HP/1400RPM Heavy Duty Single Phase
5.	Height	
6.	Width	
7.	Plate of Frames	
8.	Warranty	One Year
Tolerance +/- 5% in all dimension shall be allowed		

### 3. Technical Details of Refrigerator

Sr no		
	Energy Efficiency	4 Star Rating
	Capacity	198 litres
	Annual Energy Consumption	131 Kilowatt Hours
	Refrigerator Fresh Food Capacity	174 litres
	Freezer Capacity	24 Litres
	Installation Type	Freestanding
	Special Features	Inverter, Base stand with drawer
	Colour	Paradise Purple
	Voltage	220 Volts
	Defrost System	Direct Cool
	Shelf Type	Glass
	Certification	Energy Star
	Material	Stainless-Steel
	Included Components	1 Unit Refrigerator, User manual with warranty card, Installation guide, Cleaning and care instructions.
	Batteries Included	No
	Batteries Required	No

#### 4. Search Light (Torch)

Description- Hand torch, 15W (battery flashlight) Searchlight, 15W, made of durable shockproof plastic ABS! Power is estimated in real 15 W (T6 LED). The 15W flashlight works in three modes: 100% brightness 75% brightness Strobe. The 15W battery-powered searchlight has a built-in 4V 6Ah battery. The LED flashlight is charged through a 220 V power supply unit. A diode is also present on this unit, indicating that the battery is fully charged (green light is in charge, red light is charged). Charging time of this unit is about nine hours. Waterproof Searchlight. The temperature at which it operates is in the range of -10 to +40 degrees.

Weight about 1.6 kilograms. Overall dimensions: 23X16X13 cm.

#### Specifications

##### In The Box

Sales Package	• One Powerful Portable Long Range LED Searchlight
General	
Model Number	• Rechargeable Searchlight -6000-15W Emergency Light
Color	• Black
Rechargeable	• Yes
Bulb Type	• LED: High power 15W CREE T6 LED
Power Requirement	• 50w
Power Consumption	• 15w
Dimensions	
Length	• 27 cm
Width	• 20 cm

## नमूना एवं परीक्षण:-

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।
2. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन में असफल पाये जाने पर बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

अ.ल/७.  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर  
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)


क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

### परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।


चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सप्तित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

### संलग्न— उपरोक्तानुसार

  
 (विनेश कुमार गुप्ता)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑफिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

  
 २३/१२५२३  
 संयुक्त शासन सचिव

## Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. ‘

Alternative No.

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of:-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on      day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]